भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य एवम सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खादय एवम सार्वजनिक वितरण विभाग

गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ

पांचवा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024

दूरभाष - 0522 - 2746988, ईमेल-ardqcclu-up@nic.in

संख्या: डी0/13/क्यू0सी0एल0/2020-21/274 दिनांक: 05.02.2021

सार्वजनिक सूचना

विषय: गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ कार्यालय के दो (02) पुराने अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार इस कार्यालय में उपलब्ध दो (02) पुराने अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण हेतु इच्छुक पक्षकारों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है -

क्र.सं.	**वाहन का विवरण पंजीयन क्रमांक तथा निर्माणकर्ता**	**आरक्षित मूल्य**	**बोली के साथ जमा की जाने वाली अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी)**
1.	URU 0061 L.M.V. - लैंड रोवर	25000/-	2500/-
2.	UP32 C 1429 L.M.V. - महिंद्रा जीप - डीजल	20000/-	2000/-

<u>समय-सारिणी निमन्वत रहेगी</u> -

- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय- दिनांक 03.03.2021 अपराहन 3:00 बजे ।
- निविदाएँ जमा करने का स्थान - गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ कार्यालय में स्थित निविदा पेटी ।
- निविदा खोले जाने की तिथि तथा समय - दिनांक 03.03.2021 अपराहन 3:15 बजे ।
- निविदाएँ खोले जाने का स्थान - गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ कार्यालय ।

टिप्पणी: यदि उपर्युक्त तिथियों में से कोई सरकारी छुट्टी घोषित हो जाती है तो निविदाएँ उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय तथा स्थान पर ही स्वीकार की / खोली जाएगी, जिसकी अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।

नियम तथा शर्तें

1. निर्धारित तिथि तथा समय के बाद प्राप्त निविदाएँ/बोली स्वीकार नहीं की जाएंगी ।
2. अपूर्ण निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएंगी तथा जमा करने के बाद उनमे कोई संशोधन/परिवर्तन या सुधार करने की अनुमति नहीं होगी ।

...2

3. प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि **वेतन एवं लेखाधिकारी**, **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग** के पक्ष में **नई-दिल्ली** स्थित किसी भी रास्ट्रीयकृत बैंक पर देय हो जमा करना अनिवार्य होगा । बिना अग्रिम राशि के जमा की गयी निविदा अविलम्ब निरस्त कर दी जाएगी ।
4. सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उसी दिन, प्राधिकृत समिति द्वारा बोली का अंतिम निर्णय दिये जाने के तुरंत बाद, मूल रूप में बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा ।
5. बोलीदाताओं को अपनी बोली बिना किसी शर्त को जोड़े, प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग, संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी है । यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक वाहनों के लिए बोली लगाना चाहते हैं तो उन्हे प्रत्येक वाहन के लिए अलग निविदा, अलग अग्रिम राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
6. बोली की वैधता अवधि निविदा खोले जाने की तिथि से तीन (03) माह रहेगी । इससे कम वैधता अवधि की निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
7. **सहायक क्षेत्रीय निदेशक (भ. एवं अनु.), गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ -226024 (उ.प्र.)** को संबोधित सीलबंद निविदाएँ जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से "पुराने अनुपयोगी वाहन की खरीद के लिए निविदा" अंकित हो, व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में रखी गयी निविदा पेटी में डाली जा सकती है अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वे निर्धारित तिथि 03.03.2021 को अपराहन 3.00 (तीन) बजे से पूर्व इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए । बोली देने वाले व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर निविदा खोले जाने की प्रक्रिया के अवलोकन के लिए स्वयं उपस्थित रह सकते हैं अथवा अपने प्रतिनिधि को लिखित रूप से अधिकृत कर भेज सकते हैं ।
8. निस्तारण हेतु घोषित किए गए पुराने अनुपयोगी वाहनों का निरीक्षण बोली देने से पहले इच्छुक पक्षकारों अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा इस कार्यालय के परिसर में दिनांक 08.02.2021 से 02.03.2021 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में (शनिवार, रविवार तथा अवकाश दिवसों को छोड़कर) पूर्वाह्न 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच किया जा सकता है तथा वहाँ उपस्थित अधिकृत अधिकारी से वाहन के संबंध में पुंछताछ उस निरीक्षण के दौरान की जा सकती है । निरीक्षण के उपरांत किसी पुंछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।
9. निविदा खोले जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर सर्वाधिक बोली लगाने वाले निविदाकर्ताओं को प्राधिकृत समिति की स्वीकृति मिलने पर उसके द्वारा खरीदे गए वाहनों को, बोली की पूरी कीमत इस कार्यालय में **वेतन एवं लेखाधिकारी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई-दिल्ली** के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर पाँच (05) दिन के भीतर "जैसा है, जहां है" आधार पर, कार्यालय परिसर से हटाना होगा । सफल बोलिकर्ता द्वारा जमा की गयी अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) को या तो बोलीदाता की प्रार्थना पर वाहन की बोली कीमत में समायोजित किया जा सकेगा अथवा वाहन के हटाये जाने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अग्रिम राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में वापस कर दिया जाएगा । यदि सर्वोच्च बोली लगाने वाला पक्षकार निर्धारित अवधि पाँच (05) दिन के अंदर शेष राशि जमा करने तथा वाहन को परिसर से हटाने मे विफल रहता है तो अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी तथा यदि इसके कारण सरकार को कोई

...3

वित्तीय क्षति होती है तो उसकी वसूली भी उत्तरदायी निविदाकर्ता से की जाएगी । बोली द्वारा खरीदे गए वाहन को कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिती मे ही हटाया जा सकेगा । समान्यतः निर्धारित पाँच दिन की समयावधि में छूट नहीं दी जाएगी किन्तु सफल बोलीदाता द्वारा किसी विशेष कारण या परिस्थिति होने पर लिखित आवेदन किए जाने पर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अधिकतम दो (02) दिन की छूट और दी जा सकती है । निर्धारित समयावधि के बीत जाने पर इस कार्यालय को बिना किसी सूचना के अग्रिम जमा राशि को राजसात करने का अधिकार रहेगा।

10. निस्तारित वाहनों को केवल कार्य दिवस और कार्य समय में ही हटाये जाने की अनुमति होगी ।
11. परिसर से निस्तारित वाहनों को हटाते समय कार्यालय की संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए । सफल निविदाकर्ता / आवंटी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा निस्तारित वाहन को हटाये जाने के दौरान यदि उसकी लापरवाही के कारण संपत्ति या किसी व्यक्ति को कोई क्षति / दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो इसकी ज़िम्मेदारी उस निविदाकर्ता / आवंटी की होगी जिसकी क्षतिपूर्ति उससे वसूल की जाएगी ।
12. निविदाकर्ता को निविदा के साथ अपना वैयक्तिक पहचान का प्रमाण पत्र (आधार / मतदाता पहचान पत्र /ड्राइविंग लैसेंस आदि) तथा पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी ।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास आरक्षित है जो कि अंतिम तथा सर्वमान्य होगा ।

(पी॰ के॰ सिंह)

सहायक क्षेत्रीय निदेशक (भ॰ एवं अनु॰)

<u>वितरण:</u>

1. सूचना पट्ट, गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ ।
2. सूचना पट्ट, केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ ।
3. सूचना पट्ट, रोडवेज बस स्टैंड लखनऊ ।
4. सूचना पट्ट, नगरपालिका परिषद लखनऊ ।
5. सूचना पट्ट, रेलवे स्टेशन लखनऊ ।
6. जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ ।
7. सूचना पट्ट, भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय लखनऊ ।
8. सूचना पट्ट, अनुसूचित जाति आयोग लखनऊ ।
9. सूचना पट्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ ।
10. कबाड़ी एसोशिएशन डालीगंज पुल / क़ैसरबाग, कोतवाली के पास लखनऊ ।